

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/लेखा/डी-2/28013/18-19

दिनांक: 26.06.2018

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,  
माध्यमिक प्रथम।

विषय:- माननीया मुख्यमंत्री महोदया की वर्ष 2018-19 की बजट घोषणा संख्या 133.02.0 की क्रियान्विति के अन्तर्गत सामान्य वर्ग (आर्थिक पिछड़ा वर्ग) की मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरण करने के सम्बन्ध में।

प्रसंग:- कार्यालय का पत्रांक शिविरा/माध्य/लेखा/डी-2/28013/18-19  
दिनांक 14.06.2018

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि माननीया मुख्यमंत्री महोदया की वर्ष 2018-19 की बजट घोषणा संख्या 133.02.0 के अनुसार राज्य में राजकीय एवं निजी विद्यालयों में सामान्य वर्ग की (आर्थिक पिछड़ा वर्ग) की पात्र छात्राओं की सूची तैयार करते समय निम्नांकित बिन्दुओं की अक्षरशः पालना करें :-

1. राज्य सरकार के पत्र दिनांक 25.05.2018 (प्रति संलग्न) द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पूर्ण पालना की जाये।
2. माननीया मुख्यमंत्री महोदया की वर्ष 2018-19 की बजट घोषणा संख्या 133.02.0 के अनुसार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान-अजमेर द्वारा राजकीय एवं निजी विद्यालयों के तहत सामान्य वर्ग की (आर्थिक पिछड़ा वर्ग) जिनकी वार्षिक आय 2.50 लाख से कम हो को कक्षा 10 वीं, 12 वी की विज्ञान, वाणिज्य व कला परीक्षा में 85 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाली प्रथम 196-196 छात्राओं एवं प्रवेशिका, वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में 85 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को क्रमशः 04 व 12 स्कूटियां प्राप्तियों के घटते हुए क्रम में क्रमानुसार वितरित की जानी है।
3. स्कूटी वितरण करने हेतु आवेदन पत्र इस कार्यालय के पत्र दिनांक 22.06.2018 के साथ संलग्न कर आपके विभागीय मेल आई.डी. पर भिजवा दिया गया है।
4. आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु विज्ञप्ति की प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु भिजवाई जा रही है।
5. आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु जिला स्तर पर भी प्रमुख समाचार पत्रों में प्रेस नोट अपने स्तर से भी जारी करें साथ ही जिले के समस्त राजकीय/निजी विद्यालयों के संस्था प्रधानों को इस सम्बन्ध में पाबन्द करें कि पात्र मेधावी छात्राओं के आवेदन पत्र प्राप्त कर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में निर्धारित दिनांक तक जमा करवावें ताकि कोई भी मेधावी छात्रा स्कूटी के लाभ से वंचित न रहे।
6. जिले के समस्त राजकीय/निजी विद्यालयों द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर शैक्षिक सत्र 2017-18 में कक्षा-10 वीं, प्रवेशिका, कक्षा-12 (कला, विज्ञान, वाणिज्य) एवं वरिष्ठ उपाध्याय में 85 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाली सामान्य वर्ग (आर्थिक पिछड़ा वर्ग) की पात्र मेधावी छात्राओं के आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में मेधावी छात्रा से प्राप्त कर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करवाने होंगे।
7. जिला शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित विद्यालय (राजकीय/निजी) प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच हेतु जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्तर पर जांच कमेटी का गठन किया जायेगा जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी कमेटी अध्यक्ष एवं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्यरत अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, वरिष्ठतम लेखाकर्मी (लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी-प्रथम/द्वितीय/ कनिष्ठ लेखाकार) कमेटी के सदस्य होंगे।
8. जिला स्तरीय कमेटी प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच कर प्रत्येक छात्रा का अभिशंषा पत्र प्रपत्र 'अ' एवं कक्षावार समेकित सूची प्रपत्र 'ब' तैयार कर व्यक्तिगत रूप से निदेशालय में दिनांक 12.07.2018 तक भिजवाया जाना सुनिश्चित करें, साथ ही इस आशय का प्रमाण-पत्र अंकित करें कि उक्त सूची के अलावा अन्य कोई पात्र छात्रा वंचित नहीं है।

आप द्वारा समय पर सूचना नहीं भिजवाये जाने की स्थिति में फर्म को कार्य आदेश जारी करने में किसी भी प्रकार का विलम्ब होगा तो उसका उत्तरदायित्व आपका होगा। मेधावी छात्राओं के आवेदन पत्र मय दस्तावेजों के आप अपने कार्यालय में सुरक्षित रखें।

....2....

आवेदन पत्र की प्रति एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश विभागीय वैबसाईट [www .education.rajasthan.gov.in](http://www.education.rajasthan.gov.in) / [www.rajrmsa.nic.in](http://www.rajrmsa.nic.in) पर अपलोड करवा दी गई है । माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राज0-अजमेर द्वारा भिजवाया गया परीक्षा परिणाम आपको भिजवा दिया गया है । उक्त सूची के अतिरिक्त जिले की अन्य कोई पात्र मेधावी छात्रा है तो उसका भी आवेदन पत्र प्राप्त कर अभिशंषा हेतु निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें ।

- संलग्न:- 1.राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश  
2.आवेदन पत्र की छाया प्रति 3. आवेदन पत्रों हेतु जारी विज्ञप्ति की छाया प्रति  
4. प्रत्येक पात्र छात्रा का अभिशंषा पत्र (प्रपत्र-अ)  
5. कक्षावार पात्र छात्राओं की सूची (प्रपत्र-ब)



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान-बीकानेर

दिनांक 26.06.2018

प्रतिलिपि :-

1. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान-जयपुर को भेजकर लेख हे कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा शैक्षणिक सत्र 2017-18 में प्रवेशिका एवं वरिष्ठ उपाध्याय हेतु पात्र छात्राओं के आवेदन पत्र समबन्धित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करवाने हेतु अपने अधीनस्थ को पाबन्द करें ।
2. समस्त उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा को भेजकर लेख है कि अपने अधीनस्थ जिला शिक्षा अधिकारियों को समय पर आवेदन पत्र निदेशालय में प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द करते हुए उक्त कार्य की मोनेटरिंग अपने स्तर से करें ।



वित्तीय सलाहकार

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

राजस्थान सरकार  
शिक्षा(ग्रुप-1)विभाग

क्रमांक-प. 1(11)शिक्षा-1/2017

जयपुर, दिनांक 25-05-2018

निदेशक,  
माध्यमिक शिक्षा  
सज0 बीकानेर।

विषय:-मा. मुख्यमंत्री महोदय की वर्ष 2018-19 की बजट घोषणा संख्या 133.02.0 की क्रियान्विति अन्तर्गत आर्थिक पिछड़ा सामान्य वर्ग की मेधावी छात्राओं हेतु स्कूटी वितरण योजना के दिशा-निर्देश बाबत।


महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत मा. मुख्यमंत्री महोदय की वर्ष 2018-19 की बजट घोषणा संख्या 133.02.0 की क्रियान्विति अन्तर्गत आर्थिक पिछड़ा सामान्य वर्ग की मेधावी छात्राओं हेतु स्कूटी वितरण योजना के दिशा-निर्देश संलग्न कर प्रेषित है।

उक्त दिशा निर्देश आयोजना (जनशक्ति) विभाग की आई.डी. संख्या 56 दिनांक 11.05.2018 एवं वित्त (व्यय) विभाग की आई.डी. संख्या 131800169 दिनांक 24.05.2018 के द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी किये जाते हैं।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,




(राम स्वरूप जालानी)

शासन उप सचिव, प्रथम

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा।
3. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. संयुक्त सचिव आयोजना, (जनशक्ति) विभाग
5. उप शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग
6. निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग, जयपुर।
7. शासन उप सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2, 6)विभाग।
8. सचिव, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर।
9. रक्षित पत्रावली।



(डॉ. राजवीर सिंह)

उपनिदेशक (मूल्यां)

**आर्थिक पिछड़ा सामान्य वर्ग की मेधावी छात्राओं हेतु  
स्कूटी वितरण योजना के दिशा-निर्देश**

- 1-योजना का नाम :- आर्थिक पिछड़ा सामान्य वर्ग की मेधावी छात्राओं हेतु स्कूटी वितरण योजना
- 2- योजना :- राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित परिणाम के तहत दसवीं एवं बारहवीं की विज्ञान, वाणिज्य, कला परीक्षा में 85 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाली प्रथम 200-200 छात्राओं को वरीयताक्रमानुसार स्कूटी तथा प्रशस्ति पत्र दिये जायेंगे।
- 3- पात्रता :-
- छात्रा आर्थिक पिछड़ा सामान्य वर्ग (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ी जाति / विशेष पिछड़ा वर्ग को छोड़कर) से होनी चाहिए।
  - छात्रा के माता-पिता / संरक्षक की वार्षिक उच्च समस्त स्रोतों से 250000/- (दो लाख पचास हजार रु) से कम हो।
  - माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अन्तर्गत की दसवीं बारहवीं की विज्ञान, वाणिज्य, कला, प्रवेशिका एवं वरिष्ठ उपाध्याय की परीक्षा में 85 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्रा ही पात्र होगी।
  - अन्तिम वरीयता अंक पर एक से अधिक छात्रा होने की स्थिति में क्रमशः अनिवार्य विषय अंग्रेजी व हिन्दी में अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्रा पात्र होगी। यदि इन दोनों विषयों में भी अंक समान होते हैं तो अधिक उम्र वाली छात्रा पात्र होगी।
  - नाननीय मुख्यमंत्री की वर्ष 2017-18 की बजट घोषणा संख्या 155.0.0 के अन्तर्गत पात्र छात्राएँ जिन्होंने एकमुश्त 15000/- रूपये एवं प्रशस्ति पत्र दिये जाने का विकल्प दिया है, तो छात्राएँ बजट घोषणा 155.0.0 तथा वर्ष 2018-19 की बजट घोषणा संख्या 133.02.0 में से किसी एक योजना के चयन का विकल्प दे सकेगी।
  - यदि छात्रा को अन्य किसी योजना में स्कूटी का लाभ दिया जा रहा है, वे छात्राएँ भी योजनान्तर्गत पात्र नहीं होगी।
  - घांजनान्तर्गत पात्र छात्रा को अन्य योजनाओं में प्रदत्त लाभ भी (यथा-साईकिल / ट्रांसपोर्ट वाउचर एवं लैपटॉप आदि योजनाओं में पात्र होने पर) देय होगा।
  - राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित दसवीं, बारहवीं एवं प्रवेशिका तथा वरिष्ठ उपाध्याय की परीक्षा में घोषित परिणाम में वरीयतानुसार स्थान प्राप्त करने वाले पात्र छात्राओं की संख्या निम्नानुसार होगी :-

(अ) कक्षा दसवीं की पात्र छात्राएँ :

क्र.स.	परीक्षा का नाम	छात्राओं की संख्या
1	माध्यमिक परीक्षा	196
2	प्रवेशिका परीक्षा	04
	कुल	200

(ब) कक्षा बारहवीं की पात्र छात्राएँ:

क्र.स.	परीक्षा का नाम	छात्राओं की संख्या
1	विज्ञान संवर्ग के	196
2	वाणिज्य संवर्ग के	196
3	कला संवर्ग के	196
4	वरिष्ठ उपाध्याय	12
	कुल	600

*50*

#### 4- देय लाभ :-

- योजना के तहत वरीयता सूची में आने वाली समस्त पात्र छात्राओं को नि:शुल्क स्कूटी एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किये जायेंगे।
- स्कूटी का रजिस्ट्रेशन/बीमा/परिवहन विभाग द्वारा वसूल किये जाने वाले एक बार (One Time) के शुल्क का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जावेगा।

#### 5-पात्र छात्राओं की चयन प्रक्रिया :-

- प्रत्येक परीक्षा/संवर्ग श्रेणी में वितरित की जानी वाली स्कूटियों की संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार छात्राओं की सूची राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से प्राप्त की जावेगी।
- इन छात्राओं से स्कूटी हेतु आवेदन पत्र प्राप्त किये जावेंगे, छात्राओं द्वारा निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र को पूर्ण कर समस्त संबंधित दस्तावेजों सहित आवेदन पत्र संबंधित संस्था प्रधान को प्रस्तुत किया जावेगा।
- छात्राओं द्वारा जमा कराये गये आवेदन पत्र एवं प्रमाण पत्रों को संबंधित संस्था प्रधान द्वारा योजना के दिशा-निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में जाँच कर आवेदन पत्रों को संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक-प्रथम को जमा कराये जावेंगे।
- आवेदन पत्र के साथ छात्रा द्वारा आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न की जावेगी।
- जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक-प्रथम द्वारा जिलों में पात्र छात्राओं की सूची वरीयतानुसार निदेशक, माध्यमिक शिक्षा बीकानेर को भिजवाई जावेगी।
- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा बीकानेर द्वारा पात्र छात्राओं में से वरीयतानुसार अन्तिम सूची तैयार की जावेगी।

#### 7-स्कूटी क्रय एवं वितरण :-

- राज्य स्तर पर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा बीकानेर एवं जिला स्तर पर स्कूटी वितरण के लिए जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक-प्रथम इस योजना के नोडल अधिकारी होंगे।
- राज्य सरकार द्वारा गठित क्रय समिति की सिफारिशों के आधार पर क्रय की कार्यवाही निदेशक, माध्यमिक शिक्षा बीकानेर द्वारा की जावेगी।
- जिले की पात्र छात्राओं को स्कूटी एवं प्रशस्ति पत्र वितरण की कार्यवाही जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक-प्रथम के माध्यम से की जावेगी।
- स्कूटी आपूर्ति हेतु चयनित एजेन्सी द्वारा स्कूटी निदेशक, माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के निर्देशानुसार जिलों में जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक-प्रथम को उपलब्ध करवायी जावेगी।
- स्कूटी प्राप्ति से वितरण तक स्कूटी की सुरक्षा हेतु संबंधित नोडल अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
- संबंधित नोडल अधिकारी पात्रता सुनिश्चित कर वास्तविक छात्रा को ही स्कूटी वितरित कर प्राप्ति रसीद राज्य नोडल अधिकारी उपलब्ध करवायी जावेगी।

8-भुगतान की प्रक्रिया एवं पर्यवेक्षण :-

- i. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा बीकानेर द्वारा स्कूटी अनपूर्ति हेतु चयनित एजेन्सी को नियमानुसार भुगतान किया जावेगा।
- ii. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा बीकानेर द्वारा वितरण प्रक्रिया का प्रमावी पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जावेगा।

9- समारोह आयोजन समिति का यत्न:-

आर्थिक पिछड़ा सामान्य वर्ग की पात्र चयनित मैदावी छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी का वितरण जिला स्तरीय समारोह में किया जावेगा। प्रत्येक जिला स्तरीय समारोह के आयोजन पर अधिकतम 10,000 रुपये व्यय किये जा सकेंगे। उक्त राशि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा देय होगी। समारोह स्थल का निर्णय जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जावेगा। जिला स्तरीय स्कूटी वितरण समारोह स्थल की सुखा छात्राओं/अभिभावकों/हपस्थित नागरिकों के बैठने एवं जल की माकूल व्यवस्था करने हेतु निम्नानुसार समिति का यत्न किया जावेगा :-

क्र० सं०	अधिकारी का पद नाम	समिति में पद
1	जिला कलक्टर	अध्यक्ष
2	जिला कलक्टर द्वारा मनोनीत 01 प्रशासनिक अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद से नीचे का स्तर का न हों)	सदस्य
3	जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक-प्रथम	सदस्य
4	जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक-द्वितीय	सदस्य
5	अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक-प्रथम	सदस्य-सचिव

राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

**आर्थिक पिछड़ा वर्ग (सामान्य वर्ग) की मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरण योजना**  
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर (सरकारी/निजी विद्यालय) द्वारा आयोजित शैक्षणिक वर्ष 2017-18 की कक्षा-10, प्रवेशिका, कक्षा-12 (कला, वाणिज्य, विज्ञान) व वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में 85 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं हेतु

:: आवेदन पत्र ::

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक स्थान:-विद्यालय जहां से सम्बन्धित परीक्षा उत्तीर्ण की है ।

1. छात्रा का नाम.....
2. पिता/पति का नाम.....
3. जन्मतिथि.....  
(सैकण्ड्री परीक्षा प्रमाण-पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न करें)
4. जाति.....  
(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न करें )
5. निवास का पता.....  
.....जिला.....राज्य.....  
फोन (एस.टी.डी. कोड).....फोन नं0.....मोबाईल नं0.....
6. मूल निवास स्थान.....  
(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण-पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न करें )
7. आधार कार्ड नं0/ E.I.D. No. (स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न करें).....
8. भामाशाह कार्ड नं0/ E.I.D. No. (स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न करें).....
9. माता/पिता/पति/अभिवावक/संरक्षक का व्यवसाय.....
10. छात्र के माता/पिता/पति/अभिवावक/संरक्षक की वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल वार्षिक आय .....  
(मूल आय प्रमाण-पत्र संलग्न करें जो छः माह से अधिक पुराना नहीं हो तथा सकल वार्षिक आय राशि रुपये 2,50,000/- से कम हो।)
- 11- क्या छात्रा द्वारा बजट घोषणा संख्या 133.02 के अन्तर्गत एकमुश्त राशि रुपये 15000/- एवं प्रशस्ति पत्र दिये जाने का विकल्प दिया है । यदि नहीं तो बजट घोषणा संख्या 133.02 के अन्तर्गत स्कूटी प्राप्त करने हेतु स्व हस्ताक्षरित शपथ-पत्र संलग्न करें ।
- 12- परीक्षा से सम्बन्धित विवरण :

शाला-प्रधान  
द्वारा छात्रा की  
सत्यापित फोटो  
मय सील

कक्षा/संकाय का नाम	परीक्षा वर्ष	प्राप्तांक	प्रतिशत	राजकीय/निजी विद्यालय का नाम (जहां अध्ययन किया गया)
कक्षा-10	2017-18			
प्रवेशिका	2017-18			
कक्षा-12 (कला, विज्ञान, वाणिज्य)	2017-18			
वरिष्ठ उपाध्याय	2017-18			

- 13- छात्रा द्वारा वितरित स्कूटी के रजिस्ट्रेशन/बीमा/परिवहन विभाग द्वारा वसूल किये जाने वाले शुल्क को एक बार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जावेगा ।

- 14- प्रमाण-पत्र : ..... (छात्रा का नाम) प्रमाणित करती हूँ कि बिन्दू संख्या 01 से 13 में अंकित की गई समस्त सूचनाएँ पूर्णतः सही व सत्य है । यदि प्रस्तुत की गई कोई भी सूचना/तथ्य असत्य पाये गये तो मैं स्कूटी की लागत राशि वापिस राजकोष में जमा करवाने का वचन देती हूँ ।

दिनांक

छात्रा के हस्ताक्षर

संलग्नक :

क्रम संख्या	संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण	हां/नहीं अंकित करें
1	उत्तीर्ण परीक्षा प्रमाण-पत्र व अंक तालिका की स्व-प्रमाणित प्रति	
2	सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति	
3	सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण-पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति	
4	आधार-कार्ड की स्व-प्रमाणित प्रति	
5	भामाशाह कार्ड की स्व-प्रमाणित प्रति	
6	सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में (समस्त स्रोतों) राशि रुपये 2,50,000 से कम वार्षिक आय के सम्बन्ध में छात्रा के माता-पिता/पति/अभिवावक/संरक्षक की आय के आधार पर जारी आय-प्रमाण पत्र । (आय प्रमाण पत्र 6 माह से अधिक की अवधि का नहीं होना चाहिये ।)	
7	छात्रा द्वारा बजट घोषणा संख्या 133.02 के अन्तर्गत छात्रवृत्ति राशि प्राप्त नहीं करने बाबत स्व-प्रमाणित शपथ पत्र	
8	छात्रा द्वारा राज्य सरकार की वित्तीय वर्ष 2018-19 में किसी अन्य घोषणा के अन्तर्गत स्कूटी प्राप्त नहीं करने के अन्तर्गत स्व-प्रमाणित शपथ पत्र	

छात्रा के हस्ताक्षर

**(राजकीय व निजी विद्यालय के संस्था प्रधान द्वारा जारी प्रमाण पत्र)**

प्रमाणित किया जाता है कि छात्रा..... पुत्री..... ने शैक्षणिक वर्ष 2017-18 में शाला के अभिलेख अनुसार कक्षा..... में अध्ययनरत रहकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम के आधार पर कुल प्राप्तांक..... प्रतिशत अंक..... प्राप्त किये हैं ।

जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक-प्रथम को प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक

हस्ताक्षर शाला/संस्था प्रधान  
मय सील



कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक.....

**आर्थिक पिछड़ा वर्ग (सामान्य वर्ग) की मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरण योजना**

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर (सरकारी/निजी विद्यालय) द्वारा आयोजित शैक्षणिक वर्ष 2017-18 की कक्षा-10, प्रवेशिका, कक्षा-12 (कला, वाणिज्य, विज्ञान) व वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में 85 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाली पात्र छात्राओं को कमेटी द्वारा स्कूटी दिये जाने का अभिशंषा प्रपत्र

:: अभिशंषा प्रपत्र ::

- छात्रा का नाम.....
- पिता/पति का नाम.....
- जन्मतिथि.....  
(सैकण्ड्री परीक्षा प्रमाण-पत्र के आधार पर)
- जाति.....  
(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर )
- निवास का पता.....  
..... जिला..... राज्य.....  
फोन (एस.टी.डी. कोड)..... फोन नं०..... मोबाईल नं०.....
- मूल निवास स्थान.....  
(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण-पत्र के आधार पर )
- आधार कार्ड नं०/ E.I.D. No. (आधार कार्ड की प्रति के आधार पर ).....
- भामाशाह कार्ड नं०/ E.I.D. No. ( भामाशाह कार्ड की प्रति के आधार पर ).....
- माता/पिता/पति/अभिवावक/संरक्षक का व्यवसाय.....
- छात्र के माता/पिता/पति/अभिवावक/संरक्षक की वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल वार्षिक आय .....  
(मूल आय प्रमाण-पत्र के आधार पर जो छः माह से अधिक पुराना नहीं हो तथा सकल वार्षिक आय राशि रुपये 2,50,000/- से कम हो।)
- क्या छात्रा द्वारा बजट घोषणा संख्या 155.00 के अन्तर्गत एकमुश्त राशि रुपये 15000/- एवं प्रशस्ति पत्र दिये जाने का विकल्प दिया है । उक्त विकल्प नहीं देने की स्थिति में बजट घोषणा संख्या 133.02.0 के अन्तर्गत स्कूटी प्राप्त करने हेतु स्व हस्ताक्षरित शपथ-पत्र के आधार पर ।
- परीक्षा से सम्बन्धित विवरण : अंक तालिका के आधार पर

कक्षा/संकाय का नाम	परीक्षा वर्ष	प्राप्तांक	प्रतिशत	राजकीय/निजी विद्यालय का नाम (जहां अध्ययन किया गया)
कक्षा-10	2017-18			
प्रवेशिका	2017-18			
कक्षा-12 (कला, विज्ञान, वाणिज्य)	2017-18			
वरिष्ठ उपाध्याय	2017-18			

- जिले की समस्त पात्र छात्राओं के आवेदन पत्र प्राप्त कर अभिशंषा कर दी गई है, जिले में कोई पात्र छात्रा शेष नहीं है ।
- प्रमाण-पत्र : जिला स्तर पर गठित कमेटी द्वारा बिन्दू संख्या 01 से 13 में अंकित की गई समस्त सूचनाएँ पूर्णतः सही व सत्य है एवं मेधावी छात्राओं का निर्धारित आवेदन पत्र व सम्बन्धित दस्तावेज (प्रमाण-पत्र) कार्यालय में सुरक्षित रख लिये गये हैं । कमेटी मेधावी छात्रा ..... को निःशुल्क स्कूटी दिये जाने की अभिशंषा करती है ।

जिला शिक्षा अधिकारी,  
कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक  
शिक्षा.....

अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी,  
कार्यालय जिला शिक्षा  
अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा.....

वरिष्ठतम लेखाकर्मी,  
कार्यालय जिला शिक्षा  
अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा.....

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक.....

आर्थिक पिछड़ा वर्ग (सामान्य वर्ग) की मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरण योजना

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर (सरकारी/निजी विद्यालय) द्वारा आयोजित शैक्षणिक वर्ष 2017-18 की कक्षा-.....  
परीक्षा में 85 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाली पात्र छात्राओं की कक्षावार समेकित सूची

क्रम सं०	छात्रा का नाम,	पिता का नाम	मोबाईल नं०	विद्यालय का नाम	रोल नम्बर	कुल अंक	प्राप्तांक	प्राप्तांक प्रतिशत	सामान्य जाति का प्रमाण पत्र	2.50,000 रुपये से कम आय होने का सक्षम अधिकारी का सर्टिफिकेट
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

- यह प्रमाणित किया जाता है कि स्कूटी हेतु पात्रता सूची में उन्हीं सामान्य वर्ग की मेधावी छात्राओं को सम्मिलित किया गया है जो राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.1 (11) शिक्षा-1/2017/जयपुर दिनांक 25.05.2018 के अनुसार पात्रता रखती है ।
- प्रमाणित किया जाता है कि पात्रता सूची में वर्णित छात्राओं द्वारा किसी अन्य योजनाओं में स्कूटी हेतु आवेदन नहीं किया गया है ।
- पात्र मेधावी छात्राओं से प्राप्त आवेदन पत्र के साथ मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, छात्रा द्वारा अन्य योजना में स्कूटी प्राप्त न करने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है ।
- प्रमाणित किया जाता है कि पात्रता सूची में वर्णित छात्राओं को मुख्यमंत्री बजट घोषणा 155.00 के अन्तर्गत राशि 15000/- की छात्रवृत्ति स्वीकृत नहीं की गई है ।
- प्रमाणित किया जाता है कि जिले की कक्षा..... की समस्त पात्र छात्राओं के आवेदन पत्र सम्बन्धित विद्यालयों से प्राप्त कर कमेटी द्वारा जांच कर ली गई है । कोई भी पात्र छात्रा आवेदन से वंचित नहीं रही है ।  
कमेटी के सदस्यों द्वारा समस्त आवेदन पत्रों की जांच राज्य सरकार के निर्देशों के तहत पात्रता की भली भांति जांच कर उक्त छात्राओं को स्कूटी हेतु पात्रता की अनुशंसा करती है :-

जिला शिक्षा अधिकारी,  
माध्यमिक शिक्षा

अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी,  
माध्यमिक शिक्षा

वरिष्ठ लेखाकर्मी,  
कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी,  
माध्यमिक शिक्षा

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/लेखा/डी-2/28013/18-19

दिनांक: 25.06.2018

## : : विज्ञप्ति : :

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 की बजट घोषणा संख्या 133.02.0 की क्रियान्विति हेतु आर्थिक पिछड़ा वर्ग (सामान्य वर्ग) की जिन छात्राओं के परिवार की वित्तीय वर्ष 2017-18 में सकल कुल वार्षिक आय राशि रूपये 2,50,000/- से कम हो तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान- अजमेर द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2017-18 की (सरकारी/निजी) कक्षा-10, प्रवेशिका, कक्षा-12 (कला, वाणिज्य, विज्ञान) व वरिष्ठ उपाध्याय की परीक्षा परिणाम में 85 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किये हो, पात्र छात्राओं से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आवश्यक प्रमाण-पत्रों के साथ आमंत्रित किये जाते हैं। सम्बन्धित विद्यालय (सरकारी/निजी) समस्त आवेदन पत्र प्राप्त कर अपने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा करावें। विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	निर्धारित आवेदन पत्र प्रारूप के सम्बन्ध में विवरण	आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि व स्थान	सम्बन्धित विद्यालय द्वारा जिशिअ कार्यालय में प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि व स्थान
1	कार्यालय, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक-प्रथम व विभागीय वेबसाईट <a href="http://www.education.rajasthan.gov.in">www.education.rajasthan.gov.in</a> / <a href="http://www.rajrmsa.nic.in">www.rajrmsa.nic.in</a> पर निःशुल्क उपलब्ध है।	दिनांक 07.07.2018 (शाला समय) सम्बन्धित विद्यालय (सरकारी / निजी) जहां से सम्बन्धित परीक्षा उत्तीर्ण की है।	दिनांक 10.07.2018 (कार्यालय समय) सम्बन्धित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक कार्यालय।

  
वित्तीय सलाहकार  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर